भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3146
(30 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निधि का उपयोग

3146. श्री राम नाथ ठाकुर:
चौधरी सुखराम सिंह यादव:
श्रीमती छाया वर्मा:
श्रीमती कान्ता कर्दम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़क निर्माण की मद के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि ''सड़क निर्माण'' मद के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न कराए जाने के कारण उक्त राज्यों में सड़कों के निर्माण पर असर पड़ रहा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश , छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों को जारी की गई निधियों के केन्द्रीय अंश का ब्यौरा इस प्रकार है :-

वर्ष	जारी किया गया केंद्रीय अंश (रु. करोड़ में)		
	उत्तर प्रदेश	छत्तीसगढ़	बिहार
2016-17	1234.87	449.81	2958.34
2017-18	910.30	508.66	1592.26
2018-19	370.17	664.39	140.00
2019-20	78.07	1614.60	286.70

2020-21	123.90	837.04	49.13
2021-22 (24.3.2022 की स्थिति के अनुसार)	1418.55	394.41	374.99
कुल	**4,135.86**	**4,556.35**	**5,401.42**

(ख): पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां निर्माणाधीन सड़क कार्यों, उनकी निष्पादन क्षमता और उनके पास उपलब्ध पिछले वर्ष की व्यय न की गयी राशि को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती हैं। स्कीमों के निष्पादन के लिए राज्यों के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। अभी तक , इन राज्यों के पास उपलब्ध व्यय न की गयी राशि (प्रतिभूति जमाओं को छोड़कर) इस प्रकार है :-

उत्तर प्रदेश - 764.98 करोड़ रुपए
छत्तीसगढ़ - 123.31 करोड़ रुपए
बिहार - 748.82 करोड़ रुपए

उक्त राज्यों में निधियों की कमी के कारण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोई कार्य लंबित नहीं है।

****